

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 36/2016

अपीलान्त
रेवन्तराम पुत्र पोकरराम जाति रेगर
निवासी संखवास तहसील मुण्डवा।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1 भंवरूराम पुत्र जोगाराम जाति नायक निवासी संखवास।
2 मोहनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी संखवास।
3 सुखदेव पुत्र हरकाराम।
4 रामकिशोर पुत्र मदन।
5 सिरूराम पुत्र उम्मेदा (उम्मेदा पुत्र शोरा फौत)
जातियान मेघवाल निवासीगण संखवास तहसील मुण्डवा।
6 तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :-

1. श्री महावीर सिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री गंगासिंह कालवी, अधिकवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की ओर से।
3. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 14.12.2017

[1]-गामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांत ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मुण्डवा द्वारा भूमि रूपान्तरण प्रकरण सं. 48/15 मौजा संखवास के खसरा सं. 2336/540 रकबा 2428.09 वर्गमीटर भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29.12.15 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.03.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 07.04.2016 को मियाद का बिन्दु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 की ओर से श्री गंगासिंह कालवी अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 6 की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांत ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](I)-अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा ने आदेश जैर अपील सर्वथा गलत, मौके की स्थिति के विपरीत, विधि विरुद्ध व रेकॉर्ड के विपरीत पारित किया होने से निरस्तनीय है।

[2](II)-अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा ने उपरोक्त विक्रय पत्रों में दर्ज पडोसियान का अवलोकन किये बिना ही पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट को आधार मानकर संपरिवर्तन आदेश अपीलांत के रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। जो निरस्तनीय है।

[2](III)-अपीलांत की भूमि के उत्तर में 15 फुट चौड़ी तत्कालीन खातेदारों द्वारा अपीलांत के आवागमन के लिये रास्ता के लिये भूमि छोड़ी गई। जिस पर वर्ष 2014 में रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह राजपूत द्वारा काश्त कर कब्जा करने की कोशिश किये जाने से अपीलांत ने पुलिस थाना भावण्डा में प्रकरण सी.आर. नं. 120/2014 दर्ज करवाया जिसमें पुलिस द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिस मौका रिपोर्ट में भी अपीलांत के उक्त रास्ता का अंकन है तथा वह प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तथा उक्त मौका रिपोर्ट में विद्युत लाईन भी दर्शित है। मगर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा से यह बात छुपा कर पटवारी हल्का से मिलावट कर मौके की स्थिति के विपरीत रिपोर्ट करवा कर उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय से संपरिवर्तन आदेश प्राप्त कर लिया जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के उक्त गैर कानूनी कृत्यों व अपराधिक षडयंत्र के तहत की गई कार्यवाही के संबंध में अपीलांत सारे सबूत एकत्रित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 के विरुद्ध तथा अन्य जो भी अपराधिक षडयंत्र में शरीक मुलजिम होगा उनके विरुद्ध फौजदारी प्रकरण अलग से दर्ज करवाया जायेगा।

[2](IV)-अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा ने बिना सही जांच किये, अपने स्तर पर मौका निरीक्षण किये बिना, वास्तविक मौका रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, बिना मौका देखे ही व बिना



अपर कलक्टर, नागौर

बेचान के पडोस मिलान किये ही अपीलान्ट की भूमि में आने जाने के रास्ते को शामिल लेते हुए व पडोस बदलते हुए संपरिवर्तन आदेश जारी करने में भारी कानूनी भूल की है जो खारिज योग्य है।

[2](V)—रेस्पोडेन्ट सं. 1 भंवरराम गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा उसकी हैसियत भूमि खरीद फरोख्त व भूमि रूपान्तरण शुल्क आदि जमा करवाने की नहीं है। उसे तो रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह राजपूत ने मोहरा बनाकर रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह जो एक खूंखार व झगडालू प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गलत रूप से अपीलान्ट के रास्ते की भूमि दबाने की नियत से सारी अनुसूचित जाति की भूमि खरीद फरोख्त कर बेनामी विक्रय पत्र करवा कर प्लॉटिंग कर करोड़ों रू. कमाने की योजना तैयार कर पटवारी हल्का से गिलावट कर अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी (तहसीलदार) मुण्डवा को अंधेरे में रख कर हस्तगत संपरिवर्तन आदेश जैर अपील पारित करवाया जो खारिज योग्य है।

[2](VI)—रेस्पोडेन्ट सं. 1 भंवरराम के नाम से 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि खरीद कर उसमें से 5 बिस्वा भूमि का समर्पण करना बताया तथा शेष 3 बीघा में से 1.10 भूमि रामनिवास को बेचान करना बताकर शेष 1.10 बीघा भंवरराम ने स्वयं की बताकर संपरिवर्तन आदेश प्राप्त किया। वह भंवरराम ने अपनी भूमि की उत्तरी भुजा 268.36 फुट तथा रामनिवास को विक्रय किये गये भाग की उत्तरी भुजा 290.08 फुट दर्शायी है दोनों का योग 559.16 फुट लंबाई जो पूर्व में भंवरराम की 3.5 बीघा भूमि की उत्तरी भुजा हुई तथा इस भुजा पर 30 फुट चौड़ा रास्ता दर्शाया यानि $555.16 \times 30 = 16774.8$ वर्गफुट भूमि हुई। जो करीब 1558.43142 वर्ग मी. भूमि हुई। जो लगभग 1 बीघा भूमि है। यदि 30 फुट चौड़ा रास्ते के लिये करीब 1 बीघा भूमि तथा 1.10 बीघा भूमि रामनिवास को विक्रय कर दिया जाने पर शेष करीब 15 से 16 बिस्वा भूमि ही भंवरराम के पास बनती है, रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट की रास्ते की भूमि को अपने ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा में शामिल करते हुए संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया, अधीनस्थ न्यायालय विहित अधिकारी तहसीलदार ने बिना गणना किये ही अपीलान्ट आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। जिससे आदेश खारिज योग्य है।

[2](VII)—रेस्पोडेन्ट सं. 3 से 5 ने अपीलान्ट के रास्ते के लिये भूमि छोड़ कर इकरारनामा निष्पादित कर नोटेरी से तस्दीक करवा कर अपीलान्ट को दिया था। जिससे वे आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें रेस्पोडेन्ट बनाया गया।

[2](VII)—आदेश जैर अपील बाले बाले पारित करवाया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट का नहीं थी। हाल ही में रेस्पोडेन्ट सं. 2 मोहनसिंह राजपूत ने अपीलान्ट की आराजी में आवागमन के उक्त रास्ते को बंद करने की धमकियां दी व रास्ते की भूमि को शामिल करवाते हुए संपरिवर्तन आदेश तहसीलदार मुण्डवा से अपने पक्ष में करवा लेने के बारे में बताया व उसको आधार बना कर जबरन कब्जा करने व रास्ते की भूमि से अपीलान्ट को बेदखल करने की धमकियां देने पर अपीलान्ट ने जानकारी करवायी व नकल के लिये आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 15.3.16 को प्राप्त हुई, जिनको पढ़ने व पढ़ाने से अपीलान्ट को उसके विरुद्ध अपील करने की कानूनी राय मिली, तत्पश्चात अपील की तैयारी कर अपील तैयार करवायी जाकर तथा दिनांक 23.3.16 से 27.3.16 तक राजकीय अवकाश होने से तुरंत अपील पेश की गई। जो उपरोक्त परिस्थितियों में न्याय हित में अंदर मियाद शुमार की जाकर गुणों पर निर्णीत की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

[3] वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि अपीलान्ट ने आदेश जैर अपील होने की जानकारी उसे होने की दिनांक अंकित नहीं की है तथा न जानकारी होने का कारण विश्वसनीय है। दिनांक के अभाव में मियाद कब से शुमार की जायेगी। इसलिये प्रार्थना पत्र मियाद में शुमार करने का कारण माकूल नहीं है हाल ही शब्द बहुत ही व्यापक है। इसका मतलब एक माह भी हो सकता है व एक साल भी हो सकता है। अपीलान्ट को संपरिवर्तन की जानकारी मोहनसिंह क्यों देगा, यह मानने योग्य कारण नहीं है। नकल मिलने की तारीख 15.3.16 बताई है। मगर प्रार्थना पत्र कब दिया नहीं बताया है। सो नकल से कितना समय लगा नहीं पता चलता। नकल दिनांक 15.3.16 को मिल गई तो अपील दिनांक 28.3.16 को क्यों की पहले भी की जा सकती थी। इसलिये अपील मियाद में शुमार करने का कोई कारण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील विधिवत कार्यवाही करते हुए पारित किया गया है। जिसे यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]—रेस्पोडेन्ट सं. 6 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपीलान्ट की अपील में दिये गये तथ्यों का खण्डन करते हुए दलील दी कि अपील मियाद के बाहर पेश की गई है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किया गया है। जो यथावत कायम रखा जाना चाहिये।



अपर कलेक्टर, नागौर

[5]—उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मौजा संखवास के खसरा नं. 2336/540 रकबा 2428.09 वर्गमीटर भूमि का आवासीय संपरिवर्तन आदेश दिनांक 29.12.15 से असंतुष्ट होकर यह अपील दिनांक 28.3.16 को प्रस्तुत की गई है। अपील देरी से प्रस्तुत करने को लेकर मियाद हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। देरी माफ हेतु प्रत्येक दिन की देरी का कारण स्पष्ट करना होता है। अपीलान्ट को किस तारीख को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई तथा उसके द्वारा किस तिथि को आदेश जैर अपील की प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया तथा उसे नकले कब मिली। ऐसा कोई दस्तावेजी आधार पर साबित नहीं है। बिना संतोषजनक कारण के विलम्ब माफ किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट की अपील चलने योग्य नहीं है।

[6]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

[7]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अशोक कुमार)
अपर क्लर्क, नागौर
नागौर